न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र : 76/2020

निर्णय दिनांक : 01.01.2021

1. श्रीप्रकाश काबरा पुत्र स्व0 श्री सीताराम काबरा जाति माहेश्वरी निवासी बी–4, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर हाल निवासी डी–135, कैलाश मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
2. अर्पित काबरा पुत्र श्रीप्रकाश काबरा जाति माहेश्वरी निवासी बी–4, शिवमार्ग,बनीपार्क, जयपुर हाल निवासी डी–135, कैलाश मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
3. कुमारी पुष्पा काबरा पुत्री स्व0 श्री सीताराम काबरा जाति माहेश्वरी निवासी बी–4,शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर हाल निवासी डी–135, कैलाश मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, पता– तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय में पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम हसमपुरा बास भांकरोटा पटवार हल्का भांकरोटा कंला भूअभिलेख निरीक्षक भांकरोटा अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित हाल खसरा नम्बर 161 रकबा 1.0800 हैक्टयर स्थित है। उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 161 के खातेदार नारायण पुत्र श्री मोहरिया व श्री हनुमान पोष पुत्र श्री रामनाथ जाति जाट निवासी ग्राम हसमपुरा बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.05.1992 को उक्त भूमि का बेचान प्रार्थीगण संख्या एक लगायत तीन श्रीप्रकाश काबरा पुत्र स्व. सीताराम काबरा, अर्पित काबरा पुत्र श्रीप्रकाश काबरा, कुमारी पुष्पा काबरा पुत्री स्व0 श्री सीताराम काबरा व संजय शर्मा पुत्र श्री गुलजारी लाल शर्मा व राजेश शर्मा पुत्र श्री गुलजारी लाल शर्मा एंव मंजू शर्मा धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा के हक में कर दिया तथा विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 02.06.1992 को उप–पंजीयक, सांगानेर के कार्यालय में किया गया। उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 04.08.1992 को प्रार्थीगण व श्री संजय शर्मा, श्री राजेश शर्मा [illegible] भरकर स्वीकृत हो गया तथा इसका अमल भी राजस्व रिकार्ड में हो गया।

इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण [illegible] मंजू शर्मा की रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रयशुदा भूमि है [illegible] दर्ज हक व हिस्सा [illegible] भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:29:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

एकमात्र खातेदार, काश्तकार प्रार्थीगण स्वंय है प्रार्थीगण व संजय शर्मा, [illegible] शर्मा प्रत्येक खातेदार का उक्त भूमि में हिस्सा 1/6 निहित है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण अपने हक हिस्सेनुसार भूमि पर एकमात्र स्वामी के रूप में काबिज काश्त है।

अप्रार्थी के अधिकारीयो, कर्मचारियों ने सहवन से एंव लापरवाही बरतते हुए दौराने भू प्रबन्ध कार्यवाही अंकन की लिपकीय भूल करते हुए उक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या एक का नाम सहवन से "श्रीप्रकाश काबरा पुत्र स्व0 सीताराम काबरा" के स्थान पर "प्रकाश पुत्र सीताराम काबरा" अंकित कर दिया तथा प्रार्थी संख्या एक का हिस्सा 1/6 के स्थान पर हिस्सा 1/5 अंकित कर दिया, जो मात्र लिपिकीय त्रुटि है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एंव उचित है।

अप्रार्थी के अधिकारीयों, कर्मचारियों ने सहवन से एंव लापरवाही बरतते हुए दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही अंकन की लिपकीय भूल करते हुए उक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या दो का नाम सहवन से "अर्पित काबरा पुत्र श्रीप्रकाश काबरा" के स्थान पर "अशोक कुमार काबरा पुत्र प्रकाश काबरा" अंकित कर दिया तथा प्रार्थी संख्या दो का हिस्सा 1/6 के स्थान पर हिस्सा 1/5 अंकित कर दिया, जो मात्र लिपिकीय त्रुटि है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एंव उचित है तथा अप्रार्थी के अधिकारीयो, कर्मचारियों ने सहवन से एंव लापरवाही बरतते हुए दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही अंकन की लिपकीय भूल करते हुए उक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या तीन का नाम सहवन से दर्ज ही नही किया तथा तथा प्रार्थी संख्या तीन का हिस्सा 1/6 के स्थान पर अन्य खातेदारान का हिस्सा 1/5 अंकित कर दिया, जो मात्र लिपिकीय त्रुटि है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एंव उचित है तथा अप्रार्थी के अधिकारीयों, कर्मचारियों ने सहवन से एंव लापरवाही बरतते हुए दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही अंकन की लिपकीय भूल करते हुए उक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के अलावा अन्य खातेदार संजय शर्मा, राजेश शर्मा व मंजू शर्मा का हिस्सा 1/6 के स्थान पर हिस्सा 1/5 अंकित कर दिया, जो मात्र लिपिकीय त्रुटि है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एंव उचित है।

प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर अपना सही एंव शुद्ध नाम व सही हिस्से का अंकन किये जाने बाबत अप्रार्थी से कई बार निवेदन कर चुके है किन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त किये जाने की कोई कार्यवाही नही की है।

इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी दुरूस्ती की जावें तथा आराजीयात् के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम बाबत हुए गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 11–05–1992 व इसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 37 के आधार पर प्रार्थीगण का सही एंव शुद्ध नाम प्रार्थी संख्या 1.– श्रीप्रकाश काबरा पुत्र स्व. सीताराम काबरा हिस्सा 1/6 व प्रार्थी संख्या 2.– अर्पित काबरा पुत्र श्रीप्रकाश काबरा हिस्सा 1/6 व प्रार्थी संख्या 3.– कुमारी पुष्पा काबरा पुत्री स्व0 सीताराम काबरा हिस्सा 1/6 का अंकन [illegible] शर्मा, राजेश शर्मा व मंजू शर्मा प्रत्येक का सही हिस्सा 1/6 का अंकन किया जावें।

वकील प्रार्थीगण ने दस्त[illegible] जमाबन्दी, फोटो प्रति विक्रय पत्र, नामान्तरकरण संख्या 37 [illegible] हरसमपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर व अन्य खातेदारान् संजय शर्मा व मन्जू [illegible] के शपथ पत्र एंव अन्य खातेदार राजेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:29:53 IST
Reason: SelfAttested

शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड वसीयतनामा की प्रति व वसीयतगृहिती श्रीमति सन्तोष देवी शर्मा का शपथ पत्र पेश किये, जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नौटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को जवाब पेश किये जाने पत्र जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी द्वारा जरिये क्रमांक 3510 दिनांक 16–12–2020 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में आगामी तारीख लम्बी होने के कारण प्रार्थीगण ने शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पत्रावली तलब कर प्रकरण तारीख पेशी छोटी कर प्रकरण में बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार गलत इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मय दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एंव अप्रार्थी के जवाब के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 161 रकबा 1.0800 हैक्टयर की खातेदारी में प्रार्थीगण का विकय पत्र दिनांकीत 02–06–1992 एंव उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 37 के आधार पर अशुद्ध प्रविष्टीयों को दुरूस्त कर सही नाम व सही हिस्सा दर्ज किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतित नही हो रही है, प्रतिवादी ने अपने जवाब में भी भू–प्रबन्ध संक्रिया के दौरान सहवनवश गलत नाम व हिस्सा का अंकन किया जाना माना है, इस प्रकार उक्त आराजीयात् के राजस्व रिकार्ड में हुए गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर प्रार्थीगण का सही नाम व हिस्सा का अंकन किया जाना उचित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हसनपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 161 रकबा 1.0800 हैक्टयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का सही एंव शुद्ध नाम प्रकाश काबरा के स्थान पर श्रीप्रकाश काबरा हिस्सा 1/6 व अशोक कुमार काबरा पुत्र प्रकाश काबरा के स्थान पर अर्पित काबरा पुत्र श्रीप्रकाश काबरा हिस्सा 1/6 एंव अन्य खातेदार संजय शर्मा का हिस्सा 1/5 के स्थान पर हिस्सा 1/6, राजेश शर्मा का हिस्सा 1/5 के स्थान पर हिस्सा 1/6 व मंजू शर्मा का हिस्सा 1/5 के स्थान पर हिस्सा 1/6 का एंव कुमारी पुष्पा काबरा पुत्री स्व0 सीताराम काबरा जाति माहेश्वरी सा.बनीपार्क, जयपुर हिस्सा 1/6 काअंकनकिये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सांगानेर को आदेश की प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:29:53 IST
Reason: SelfAttested

(घनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर)
जयपुर